रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1059/2025/1045/22-2-2025-17(219)/2024

लखनऊ : दिनांक: 22 अगस्त, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 07 अप्रैल, 2025 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) के अवसर पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ननकू उर्फ विपिनचन्द्र गोसाई (बंदी संख्या-17434) पुत्र श्री सुन्दर गोसाई, रूकमंगतपुर, मौजा-भैसहा थाना-कौड़िया जनपद-गोण्डा, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-68/2009 में भा0द0वि0 की धारा-449, 504, 506(2), 302/34 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के दण्डादेश दिनांक 26.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी के ऊपर अन्य कोई विचाराधीन वाद (1) एस0एस0टी0नं0-358/2008, मु0अ0सं0-187/2007, धारा-394, 302, 411 आई0पी0सी0 व 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट चालानी, थाना-कौडिया, जनपद-गोण्डा का वाद लम्बित है एवं बंदी की अपील निर्णीत है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2025 तक 16 वर्ष 04 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1059/2025/1045(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोण्डा।

4- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in